work-Pothing To Sobhakund Mising Motor Road Lenth 5.00KM

A1.4

41.4

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग पोथिग भगवती मंदिर मोटर मार्ग के किमी0 1 से प्रारम्भ होता है जो पोथिग, दुदिला एवं सुकुण्डा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 498 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में 2.800 हेक्टेयर सिविल भूमि एवं 0.350 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन पोथिग भगवती मंदिर मोटर मार्ग के किमी0 1 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में कोई हियर पिन बैण्ड नहीं पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन पोथिग भगवती मंदिर मोटर मार्ग के किमी0 1 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 5.200 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 2 हियरपिन बैण्ड आते हैं तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 2.800 है0 एवं वन पचायत 0.350 है0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 5 किमी0 व चौडाई 7 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

प्रपत्र–23.2

A-1.6.3

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोथिंग से सोभाकुण्ड 5 km मोटर मार्ग हे0 आरक्षित वन भूमि — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.800 हे0 वन पंचायत भूमि 0.350 अर्थात कुल 3.150 हे0 वन भूमि) का ——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक ——— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ———, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री कैलाश सिं टोलिया उपजिलाधिकारी ——— अध्यक्ष
2– श्री ——— उप प्रभागीय वनाधिकारी ——— सदस्य
3– श्री काल राम सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——— सदस्य / सचिव
4– श्रीमती ——— बी0डी0सी0 क्षेत्र पोथिंग ——— सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट

विकास खण्ड कपकोट जनपद-बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

कपकोट के अन्तर्गत पोथिंग से सोभाकुण्ड तक भिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5 km. परियोजना हेतु 3.150 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 कपकोट, बागेश्वर ——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट पारिक्षेत्र के अन्तर्गत पोथिंग से [illegible] PMGSY परियोजना के निर्माण हेतु 3.1500 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

A.1.6.3

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, कपकोट बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कपकोट
जनपद बागेश्वर

A 1.6.4

परियोजना का नाम :--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पोथिंग
तहसील कपकोट जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से सोराधारखेत तक मिलि मोटरमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (------- हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल सोयम भूमि 2.80 हे0, वन पंचायत भूमि 0.350 हे0) अर्थात कुल 3.152 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोथिंग द्वारा दिनांक 5/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथिंग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि०कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

चम्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत पोथिंग
वि०ख० कपकोट (बागेश्वर)

ह0/--
ग्राम सचिव

ह0/--
ग्राम प्रधान

नोट :-- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

A-1.6.5

दिनांक 5.11.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पोथिंग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	भगवत सिंह S/o श्री	किशन सिंह	भगवतसिंह
2	चंचल सिंह जोशी	[illegible]	[signature]
3	कैलाश चन्द्र	नन्दा बल्लभ जोशी	[signature]
4	दीपक चन्द्र जोशी	हरीश चन्द्र जोशी	[signature]
5			
6	हरीश सिंह	गुमान सिंह	[signature]
7	[signature]	धन सिंह	[signature]
8	अमर सिंह	हर सिंह	[signature]
9	पूरन चन्द्र	प्रयाग दत्त जोशी	[signature]
10	प्रकाश चन्द्र जोशी	हरिदत्त जोशी	[signature]
11	दीपक जोशी	गोकुलानन्द जोशी	[signature]
12	मदन सिंह	प्रेम सिंह	[signature]
13	प्रताप सिंह	राम सिंह	[signature]
14	[illegible] जोशी	[illegible] दत्त	[signature]
15	राम सिंह	जसौद सिंह	राम सिंह
16	धन सिंह	जसौद सिंह	[signature]
17	भगवान सिंह	[illegible] सिंह	[signature]
18	राजेन्द्र सिंह	[illegible] सिंह	[signature]
19			
20	गोविन्द सिंह	[illegible] सिंह	[signature]

ग्राम प्रधान
चम्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत पोथिंग
वि०ख० कपकोट (बागेश्वर)

प्रारूप- 1.6 पत्र के अन्तर्गत

प्रपत्र 2

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग निर्माण / 5 KM.

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित राज्य योजना परियोजना के निर्माण हेतु 3.150 हे0 वन भूमि नि०ख०लो०नि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ~~पोथिंग-सोभाकुण्ड~~ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
(जिलाधिकारी बागेश्वर)

R.D.F. Sharma

तहसीलदार
कपकोट (बागेश्वर)

उपजिलाधिकारी
कपकोट

नोट :–वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वॉछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

A I-6-Z

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date.............at time.......at Bageshwar in which application claiming rights in **Shobhakund** area measuring 3.150hect for the Construction of **Pothing to Shobhakund moter road under State sector (5.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

जिला अधिकारी
बागेश्वर.

A 1.6.7

प्रपत्र--23.3

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग (5.00 किमी) निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण--पत्र

जनपद बागेश्वर में **राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग (5.00 किमी)** परियोजना के निर्माण हेतु **3.150 है0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण--पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण--पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

A 1-6-8

प्रपत्र—23.4

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग (5.00 किमी) निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्ताग्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद बागेश्वर में **राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग (5.00 किमी)** परियोजना के निर्माण हेतु **3.150 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिला अधिकारी
बागेश्वर.

A 1.6.9

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO……………………   *Dated…………*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.150** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Pothing to Shobhakund moter road under State sector** in **Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

(g) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.150** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**

(h) The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**

(i) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricuitural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral)
District Collector
Seal
(Full name and official seal of the District Collector

A 1-6-10

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

N0........................ *Dated............*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.150** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Pothing to Shobhakund moter road under State sector in distt-Bageshwer.**

It is further certified that :-

(m) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.150** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure........to annexure.......

(n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**

(o) The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Shobhakund Village (s) is enclosed as annexure........

(p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**

(q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(r) The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

जिला अधिकारी
बागेश्वर

A 1-6-12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से सोनाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग (5.00 किमी) नव निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू–स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर